

प्राक्तकथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जहाँ पर आवश्यक था, सूचनाएं प्राप्त की गयी हैं। अध्याय 3-वित्तीय रिपोर्टिंग, वर्ष 2011-12 में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक नियमों, सरकारी कम्पनियों एवं परिषदों की लेखापरीक्षा तथा राजस्व प्राप्तियों पर अनुमानों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए गये हैं।